<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>लोक सभा सचिवालय</u>
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन आज अर्थात, 13.03.2020 को श्री कृष्ण राजू कानुमुरु, संसद सदस्य , समिति के सभापति द्वारा सभा को प्रस्तुत किया गया ।

दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

असाधारण राजपत्र में विनियमों के प्रकाशन में देरी ।	समिति ने नोट किया है कि प्रकाशन की दरों में संशोधन जैसे मामूली मुद्दों**,** जिनकी आईआरडीएआई को जानकारी नहीं थी**,** के कारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियां**,** देयताएं और शोधनक्षमता मार्जिन) विनियम**, 2016** बीस दिन से अधिक समय के बाद असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए । समिति ने विनियमों को अधिसूचित किए जाने में विलंब की आलोचना की है और यह सिफ़ारिश की है कि प्रकाशन विभाग नियमों /विनियमों को अविलंब प्रकाशित करे तथा मांगकर्ता विभाग द्वारा प्रकाशन लागत की गणना में कोई चूक की गयी है तो प्रकाशन में विलंब करने के बजाय संबन्धित पक्ष से शेष राशि के लिए दावा करे। **(पैरा 1.7)**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा अधिसूचित विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना)	समिति ने नोट किया है की भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र : असाधारण में 9 मई, 2019 को प्रकाशित किए गए थे परंतु, ये विनियम 1 अप्रैल, 2016 अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए गए । तथापि, समिति ने यह पाया है कि यह प्रमाणित करने वाला अपेक्षित व्याख्यात्मक ज्ञापन, कि इन विनियमों के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने पर किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं लगाया गया था। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नहीं लगा इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ विधान तैयार करने के मामलों में समिति द्वारा बनाए गए मानदंडों और प्रक्रियाओं का मंत्रालय द्वारा पालन किया जाना चाहिए। **(पैरा 1.10)**
विनियमों के संक्षिप्त नाम में विसंगति और प्रवृत्त होने की तारीख दर्शाने वाले आरंभन खंड का न होना ।	समिति ने नोट किया है कि विनियम के संक्षिप्त नाम में **2016** से पहले 'विनियम' शब्द नहीं है**,** और विनियम के प्रवृत्त होने की तारीख दर्शाने वाला आरंभन खंड भी नहीं है । मंत्रालय द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लगा । इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि 'स्पष्टता और विसंगतियों को दूर करने के लिए मंत्रालय वर्तमान अधिसूचना का शुद्धि पत्र जारी करे और इस तरह की सभी सांविधिक अधिसूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित किए जाने से पहले विधि एवं न्याय मंत्रालय से उसकी पुनरीक्षा कराया जाए। समिति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर भी विश्वास किया है कि वह भविष्य में नियमों/विनियमों की अधिसूचना प्रकाशित करते समय इस संबंध में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । **(पैरा 2.5)**